राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–651/2025

डॉ. कविता मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. डॉ. गायत्री रोझ, चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सालय, बीकानेर हॉउस, न्यू देहली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा स्थानान्तरण सहायक अभियंता, सावन भादो उप खण्ड तृतीय कनवास से सहायक अभियंता, जवाहर सागर बांध उपखण्ड बांध स्थल जवाहर सागर रिक्त पद पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थल पर पदस्थापन दिनांक 15.03.2024 को 10 माह पूर्व ही किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का पुत्र 70 प्रतिशत विकलांग (C.P) है (अनुलग्नक–3)। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण सुदूर 100 किमी. दूर किया जाना उचित नहीं है।
3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक

अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य